छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 59/2007

श्री विजय बुधिया,
आत्मज स्व0 श्री श्याम सुंदर बुधिया,
बुधिया आटो, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा,
जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, छ.ग.शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 31 अगस्त 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विजय बुधिया द्वारा जन सूचना अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 15–06–2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण उनके द्वारा दिनांक 14–08–2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 13–09–2006 को अपील स्वीकार कर जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये। किन्तु उसके बाद भी समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 02–01–2007 को प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में विलम्ब किये जाने और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देने के कारण जन सूचना अधिकारी को 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र दिया गया और उसके बाद तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री ए0के0गोयल और उमेश कुमार काटिया को भी 10,000–10,000/–रुपये की शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया। उनके उत्तर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री राकेश्वर दयाल, सहायक ग्रेड–1 ने प्रथम अपील का आदेश जन सूचना अधिकारी को समय पर प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण उन्हें भी 10,000/–रुपये (दस हजार रुपये) की शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र दिया गया। चूँकि अपीलार्थी लगातार कई पेशियों पर अनुपस्थित रहे, अतः प्रकरण में सुनवाई के समय एकतरफा कार्यवाही की गई। कारण बताओ सूचना–पत्र के प्राप्त उत्तरों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश बीच में वरिष्ठ अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकी और इस संबंध

में श्री राकेश्वर दयाल, सहायक ग्रेड–1 से स्पष्टीकरण मांगकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। अतः इस संबंध में श्री ए0के0गोयल, तत्कालीन सहायक जन सूचना अधिकारी, श्री ए0के0पाठक, वर्तमान जन सूचना अधिकारी एवं श्री उमेश कुमार काटिया, सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से संतुष्ट होकर उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में चूँकि जो जानकारी चाही जा रही थी वह माननीय विधि मंत्री के कार्यालय को प्राप्त एक पत्र से संबंधित थी और जो विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के कारण विलम्ब से दी गई। अतः उक्त कारण संतोषप्रद प्रतीत होता है और अंतिम जानकारी दिनांक 20–03–2007 को प्रदान की गई है। जहाँ तक श्री राकेश्वर दयाल, सहायक ग्रेड–1 के विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना–पत्र का प्रश्न है, चूँकि उन्होंने त्रुटि के लिये क्षमा चाहते हुये इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने की बात कही है, अतः कुछ उदार रूख अपनाते हुये उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है और अधिनियम की धारा–20(2) के अंतर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग के द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के उपरांत शीघ्र निर्णय लिया जावे और आयोग को लिये गये निर्णय से अवगत कराया जावे। चूँकि प्रकरण में विलम्ब के कारण अपीलार्थी को मानसिक/आर्थिक क्षति हुई है, अतः अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को 300/– रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

3/ उक्त निर्देशानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/ 31–08–2007
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त